



कार्यालय नगर निगम, कोटा (राजस्थान)

108

(राज. न.पा. अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत)

क्रमांक : ननिको/.../भ.नि. विभाग नगर | 18102

दिनांक : 20-2-17

श्री यू. आर. एस. राधना
जयिभागीदार
उपेन्द्र मोदी 51 गोवर्द्धन लाल मोदी
1951 नूतन कोठी गुमानपुरा

विषय : भूखण्ड संख्या जी.पी. 5-ए योजना 1875- क्षेत्रफल वर्गमीटर
पर बहुमंजिला भवन/प्लेट्स/वाणिज्यिक परिसर के भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत

प्रसंग : आपका आवेदन पत्र दिनांक 27-6/016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर भवन निर्माण स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 17-01-17 में लिये गये निर्णय के क्रम में निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं / भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

- यह भवन निर्माण की स्वीकृति R M Act की धारा 194 (3) (ख) के परन्तुक के तहत जारी की जा रही है। किसी भी न्यायालय अथवा वाद में या अन्यथा रूप से किसी भी प्रकार के हक के सृजन की कोटि में इसे भूखण्ड/मकान के स्वामित्व के साक्ष्य के दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
- स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण किये जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को निगम द्वारा ध्वस्त कया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा उक्त कार्यवाही पर किया गया समस्त व्यय आपको ही वहन करना होगा।
- संलग्न मानचित्र अनुसार बेसमेन्ट पार्किंग/स्टिल्ट पार्किंग / भूतल + ~~प्रथम तल~~ मंजिल (6.77 मी. ~~प्रथम तल~~) मीटर ऊँचाई) निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- बेसमेन्ट + स्टिल्ट / भूतल का निर्माण होने पर नगर निगम को सूचित करना होगा एवं नगर निगम द्वारा जॉच उपरान्त निर्माण सही पाये जाने पर अग्रिम निर्माण किया जा सकेगा।
- पार्किंग संबंधी पर्याप्त व्यवस्था मानचित्र में बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल पर दर्शाये अनुसार की जानी होगी। पार्किंग क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जावेगा, न इसे अन्य उपयोग में लाया जायेगा, न ही इसका बेचान किया जावेगा एवं पार्किंग हेतु खुला रखा जायेगा। पार्किंग क्षेत्र में किये गये किसी भी प्रकार के निर्माण को ध्वस्त करने के लिये नगर निगम स्वतंत्र होगा, जिसका हर्जा-खर्चा आपसे वसूला जावेगा। पार्किंग स्थल को निगम को समर्पित करने का शपथ पत्र देना होगा।
- पार्किंग, लिफ्ट इत्यादि सुविधा क्षेत्र के रख-रखाव की व्यवस्था आपको सुनिश्चित करनी होगी।
- आप द्वारा दी गई अण्डरटेकिंग/क्षतिपूर्ति बंधपत्र के क्रम में बेसमेन्ट निर्माण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि बेसमेन्ट निर्माण के कारण आस-पास की संभावित क्षति के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- बेसमेन्ट निर्माण में निम्न शर्तों की अनुपालना करनी होगी :-
 - प्रत्येक भाग फर्श से छत के नीचे की सतह या भीतरी छत कम से कम 2.75 मी. (9 फीट) ऊँची होगी।
 - पर्याप्त वातायान की व्यवस्था करनी होगी।
 - इस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी कि सतह का पानी बेसमेन्ट में न पहुँचे।
 - दीवारें व फर्श जलरोधी बनाने होंगे। जलरोधी उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

9. भवन निर्माण के स्ट्रक्चरल डिजाईन की जिम्मेदारी आपके द्वारा नियुक्त वास्तुविद् की होगी। नगर निगम किसी भी स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा। निर्माण कार्य अधिकृत वास्तुविद्/अभियंता की देख रेख में करवाया जाना होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर संबंधित वास्तुविद् व स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. भवन की संरचना भूकम्परोधी होना आवश्यक है। इस संबंध में स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम कोटा से अग्निशमन के संबंध में अस्थाई तौर पर पत्रांक / फायर / दिनांक 29.11.16 द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। निर्माण पश्चात् एवं भवन को उपयोग में लेने से पूर्व अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम से स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा एवं नियमानुसार अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
12. मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का निर्माण आवश्यक रूप से किया जाना होगा।
13. स्वीकृत मानचित्र में दर्शित इनफोरमल कॉमर्शियल का निर्माण कर निगम को सूचित करना होगा तथा इस ब राज्य सरकार द्वारा जनसाथी रोजगार योजना में निर्धारित नियमों/शर्तों की पालना करनी होगी।
14. पर्यावरण की दृष्टि से मानचित्र में दर्शाये अनुसार पेड़ लगाने होंगे। भूखण्ड पर प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में 6 मीटर से अधिक ऊंचाई ग्रहण करने वाले वृक्ष लगाने होंगे।
15. समय-समय पर राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा जारी नियमों/आदेशों की पालना करनी होगी।
16. बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने के कारण भवन विनियम 2010 के अनुसार सौर ऊर्जा एवं अन्य बहुमंजिले भवनों हेतु अपेक्षित प्रावधान रखने होंगे।
17. भूखण्ड पर होटल, सिनेमा, वाणिज्यिक परिसर, बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने के कारण गृह विभाग के आदेश दिनांक 13-08-09 के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा संबंधी निर्देश प्राप्त कर इनकी पालना की जानी होगी तथा अन्य समस्त वांछित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

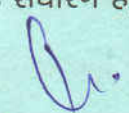

 उपस्थित
 (..... नगर निगम कोटा जोन)
 नगर निगम कोटा

क्रमांक: ननिको/मुख्या./रा.जोन/वि.जोन/ 18103-18105-

दिनांक: 20-2-17

प्रतिलिपि :

1. संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम कोटा को स्वीकृत मानचित्र की प्रति भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण कार्य किया जावे तो, तुरन्त विस्तृत रिपोर्ट संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत करें तथा नियम विरुद्ध / अवैध निर्माण को रोकने के लिए संबंधित को पाबन्द कर अवगत करावे।
2. कार्यालय सहायक, संबंधित जोन को योजना/क्षेत्रवार स्वीकृतियों का रिकॉर्ड संधारण हेतु।
3. सुरक्षित पत्रावली।


 आयुक्त
 (..... नगर निगम कोटा जोन)
 नगर निगम कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा (राजस्थान)

(राज. न.पा. अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत)

109

क्रमांक : ननिको/...../भ.नि./.....जोन

18504

दिनांक : 28/2/2017

श्री यू.आर.एस. गहना

जरिफे भागीदार

उपेन्द्र सोनी 1951 म्यूकली गुमानपुरा

विषय : भूखण्ड संख्या 1951 म्यूकली गुमानपुरा योजना 1875 क्षेत्रफल वर्गमीटर

पर बहुमंजिला भवन/फ्लेट्स/वाणिज्यिक परिसर के भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत

प्रसंग : आपका आवेदन पत्र दिनांक 27-6-016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर भवन निर्माण स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 17-01-017 में लिये गये निर्णय के क्रम में निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं / भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

1. यह भवन निर्माण की स्वीकृति R M Act की धारा 194 (3) (ख) के परन्तुक के तहत जारी की जा रही है। किसी भी न्यायालय अथवा वाद में या अन्यथा रूप से किसी भी प्रकार के हक के सृजन की कोटि में इसे भूखण्ड/मकान के स्वामित्व के साक्ष्य के दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
2. स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण किये जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को निगम द्वारा ध्वस्त कया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा उक्त कार्यवाही पर किया गया समस्त व्यय आपको ही वहन करना होगा।
3. संलग्न मानचित्र अनुसार बेसमेन्ट पार्किंग/स्टिल्ट पार्किंग / भूतल + 1 मंजिल (..... मंजिल (..... मीटर ऊँचाई) निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. बेसमेन्ट + स्टिल्ट / भूतल का निर्माण होने पर नगर निगम को सूचित करना होगा एवं नगर निगम द्वारा जॉच उपरान्त निर्माण सही पाये जाने पर अग्रिम निर्माण किया जा सकेगा।
5. पार्किंग संबंधी पर्याप्त व्यवस्था मानचित्र में बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल पर दर्शाये अनुसार की जानी होगी। पार्किंग क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जावेगा, न इसे अन्य उपयोग में लाया जायेगा, न ही इसका बेचान किया जावेगा एवं पार्किंग हेतु खुला रखा जायेगा। पार्किंग क्षेत्र में किये गये किसी भी प्रकार के निर्माण को ध्वस्त करने के लिये नगर निगम स्वतंत्र होगा, जिसका हर्जा-खर्चा आपसे वसूला जावेगा। पार्किंग स्थल को निगम को समर्पित करने का शपथ पत्र देना होगा।
6. पार्किंग, लिफ्ट इत्यादि सुविधा क्षेत्र के रख-रखाव की व्यवस्था आपको सुनिश्चित करनी होगी।
7. आप द्वारा दी गई अण्डरटेकिंग/क्षतिपूर्ति बंधपत्र के क्रम में बेसमेन्ट निर्माण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि बेसमेन्ट निर्माण के कारण आस-पास की संभावित क्षति के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. बेसमेन्ट निर्माण में निम्न शर्तों की अनुपालना करनी होगी :-
 - (i) प्रत्येक भाग फर्श से छत के नीचे की सतह या भीतरी छत कम से कम 2.75 मी. (9 फीट) ऊँची होगी।
 - (ii) पर्याप्त वातायान की व्यवस्था करनी होगी।
 - (iii) इस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी कि सतह का पानी बेसमेन्ट में न पहुँचे।
 - (iv) दीवारें व फर्श जलरोधी बनाने होंगे। जलरोधी उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

उपायुक्त

नगर निगम, कोटा

9. भवन निर्माण के स्ट्रक्चरल डिजाईन की जिम्मेदारी आपके द्वारा नियुक्त वास्तुविद् की होगी। नगर निगम किसी भी स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा। निर्माण कार्य अधिकृत वास्तुविद्/अभियंता की देख रेख में करवाया जाना होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर संबंधित वास्तुविद् व स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. भवन की संरचना भूकम्परोधी होना आवश्यक है। इस संबंध में स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम कोटा से अग्निशमन के संबंध में अस्थाई तौर पर पत्रांक / फायर / दिनांक 29-11-16 द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। निर्माण पश्चात् एवं भवन को उपयोग में लेने से पूर्व अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम से स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा एवं नियमानुसार अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
12. मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का निर्माण आवश्यक रूप से किया जाना होगा।
13. स्वीकृत मानचित्र में दर्शित इनफोरमल कॉमर्शियल का निर्माण कर निगम को सूचित करना होगा तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा जनसाथी रोजगार योजना में निर्धारित नियमों/शर्तों की पालना करनी होगी।
14. पर्यावरण की दृष्टि से मानचित्र में दर्शाये अनुसार पेड़ लगाने होंगे। भूखण्ड पर प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में 6 मीटर से अधिक ऊंचाई ग्रहण करने वाले वृक्ष लगाने होंगे।
15. समय-समय पर राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा जारी नियमों/आदेशों की पालना करनी होगी।
16. बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने के कारण भवन विनियम 2010 के अनुसार सौर ऊर्जा एवं अन्य बहुमंजिले भवनों हेतु अपेक्षित प्रावधान रखने होंगे।
17. भूखण्ड पर होटल, सिनेमा, वाणिज्यिक परिसर, बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने के कारण गृह विभाग के आदेश दिनांक 13-08-09 के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा संबंधी निर्देश प्राप्त कर इनकी पालना की जानी होगी तथा अन्य समस्त वांछित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।


सहायक
नगर निगम कोटा

(.....जोन)

नगर निगम कोटा

क्रमांक: ननिको/मुख्या./रा.जोन/वि.जोन/ 18505-507

दिनांक: 28/2/17

प्रतिलिपि :

1. संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम कोटा को स्वीकृत मानचित्र की प्रति भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण कार्य किया जावे तो, तुरन्त विस्तृत रिपोर्ट संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत करें तथा नियम विरुद्ध / अवैध निर्माण को रोकने के लिए संबंधित को पाबन्द कर अवगत करावे।
2. कार्यालय सहायक, संबंधित जोन को योजना/क्षेत्रवार स्वीकृतियों का रिकॉर्ड संधारण हेतु।
3. सुरक्षित पत्रावली।


सहायक
नगर निगम कोटा

(.....जोन)

नगर निगम कोटा



कार्यालय नगर निगम, कोटा (राजस्थान)

(राज. न.पा. अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत)

110

क्रमांक : ननिको/...../भ.नि./वि.न. जोन

12443

दिनांक : 27-9-17

श्री यू. आर. एस. गहना

जयि भागीदार

उपेन्द्र सोनी (डा. गौरधन लाल सोनी)

19 डी न्यू केम्पानि गुमानपुरा

विषय : भूखण्ड संख्या सी.पी. 4 (ए) इन्डविडुअल योजना 1875=0 क्षेत्रफल वर्गमीटर

पर बहुमंजिला भवन/प्लेट्स/वाणिज्यिक परिसर के भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत

प्रसंग: आपका आवेदन पत्र दिनांक 27-06-2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर भवन निर्माण स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 01-07-2017 में लिये गये निर्णय के क्रम में निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं / भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

- यह भवन निर्माण की स्वीकृति R M Act की धारा 194 (3) (ख) के परन्तुक के तहत जारी की जा रही है। किसी भी न्यायालय अथवा वाद में या अन्यथा रूप से किसी भी प्रकार के हक के सृजन की कोटि में इसे भूखण्ड/मकान के स्वामित्व के साक्ष्य के दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
- स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण किये जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को निगम द्वारा ध्वस्त कया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा उक्त कार्यवाही पर किया गया समस्त व्यय आपको ही वहन करना होगा।
- संलग्न मानचित्र अनुसार बेसमेन्ट पार्किंग/स्टिल्ट पार्किंग / भूतल + 14 मंजिल (44.47 मीटर ऊँचाई) निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। (फ्ल. F.A.R 3.20 देपेंडेंट)
- बेसमेन्ट + स्टिल्ट / भूतल का निर्माण होने पर नगर निगम को सूचित करना होगा एवं नगर निगम द्वारा जॉच उपरान्त निर्माण सही पाये जाने पर अग्रिम निर्माण किया जा सकेगा।
- पार्किंग संबंधी पर्याप्त व्यवस्था मानचित्र में बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल पर दर्शाये अनुसार की जानी होगी। पार्किंग क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जावेगा, न इसे अन्य उपयोग में लाया जायेगा, न ही इसका बेचान किया जावेगा एवं पार्किंग हेतु खुला रखा जायेगा। पार्किंग क्षेत्र में किये गये किसी भी प्रकार के निर्माण को ध्वस्त करने के लिये नगर निगम स्वतंत्र होगा, जिसका हर्जा-खर्चा आपसे वसूला जावेगा। पार्किंग स्थल को निगम को समर्पित करने का शपथ पत्र देना होगा।
- पार्किंग, लिफ्ट इत्यादि सुविधा क्षेत्र के रख-रखाव की व्यवस्था आपको सुनिश्चित करनी होगी।
- आप द्वारा दी गई अण्डरटेकिंग/क्षतिपूर्ति बंधपत्र के क्रम में बेसमेन्ट निर्माण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि बेसमेन्ट निर्माण के कारण आस-पास की संभावित क्षति के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- बेसमेन्ट निर्माण में निम्न शर्तों की अनुपालना करनी होगी :-
 - प्रत्येक भाग फर्श से छत के नीचे की सतह या भीतरी छत कम से कम 2.75 मी. (9 फीट) ऊँची होगी।
 - पर्याप्त वातायान की व्यवस्था करनी होगी।
 - इस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी कि सतह का पानी बेसमेन्ट में न पहुँचे।
 - दीवारें व फर्श जलरोधी बनाने होंगे। जलरोधी उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

9. भवन निर्माण के स्ट्रक्चरल डिजाईन की जिम्मेदारी आपके द्वारा नियुक्त वास्तुविद् की होगी। नगर निगम किसी भी स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा। निर्माण कार्य अधिकृत वास्तुविद्/अभियंता की देख रेख में करवाया जाना होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर संबंधित वास्तुविद् व स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. भवन की संरचना भूकम्परोधी होना आवश्यक है। इस संबंध में स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम कोटा से अग्निशमन के संबंध में अस्थाई तौर पर पत्रांक / फायर / दिनांक 29-6-17 द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। निर्माण पश्चात् एवं भवन को उपयोग में लेने से पूर्व अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम से स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा एवं नियमानुसार अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
12. मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का निर्माण आवश्यक रूप से किया जाना होगा।
13. स्वीकृत मानचित्र में दर्शित इनफोरमल कॉमर्शियल का निर्माण कर निगम को सूचित करना होगा तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा जनसाथी रोजगार योजना में निर्धारित नियमों/शर्तों की पालना करनी होगी।
14. पर्यावरण की दृष्टि से मानचित्र में दर्शाये अनुसार पेड़ लगाने होंगे। भूखण्ड पर प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में 6 मीटर से अधिक ऊंचाई ग्रहण करने वाले वृक्ष लगाने होंगे।
15. समय-समय पर राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा जारी नियमों/आदेशों की पालना करनी होगी।
16. बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने के कारण भवन विनियम 2010 के अनुसार सौर ऊर्जा एवं अन्य बहुमंजिलें भवनों हेतु अपेक्षित प्रावधान रखने होंगे।
17. भूखण्ड पर होटल, सिनेमा, वाणिज्यिक परिसर, बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने के कारण गृह विभाग के आदेश दिनांक 13-08-09 के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा संबंधी निर्देश प्राप्त कर इनकी पालना की जानी होगी तथा अन्य समस्त वांछित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा
अभ्युक्त

(.....जोन)

नगर निगम कोटा

क्रमांक: ननिको/मुख्या./रा.जोन/वि.जोन/

12444-46

दिनांक: 27-9-17

प्रतिलिपि :

1. संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम कोटा को स्वीकृत मानचित्र की प्रति भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण कार्य किया जावे तो, तुरन्त विस्तृत रिपोर्ट संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत करें तथा नियम विरुद्ध / अवैध निर्माण को रोकने के लिए संबंधित को पाबन्द कर अवगत करावे।
2. कार्यालय सहायक, संबंधित जोन को योजना/क्षेत्रवार स्वीकृतियों का रिकॉर्ड संधारण हेतु।
3. सुरक्षित पत्रावली।

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

(.....जोन)

नगर निगम कोटा



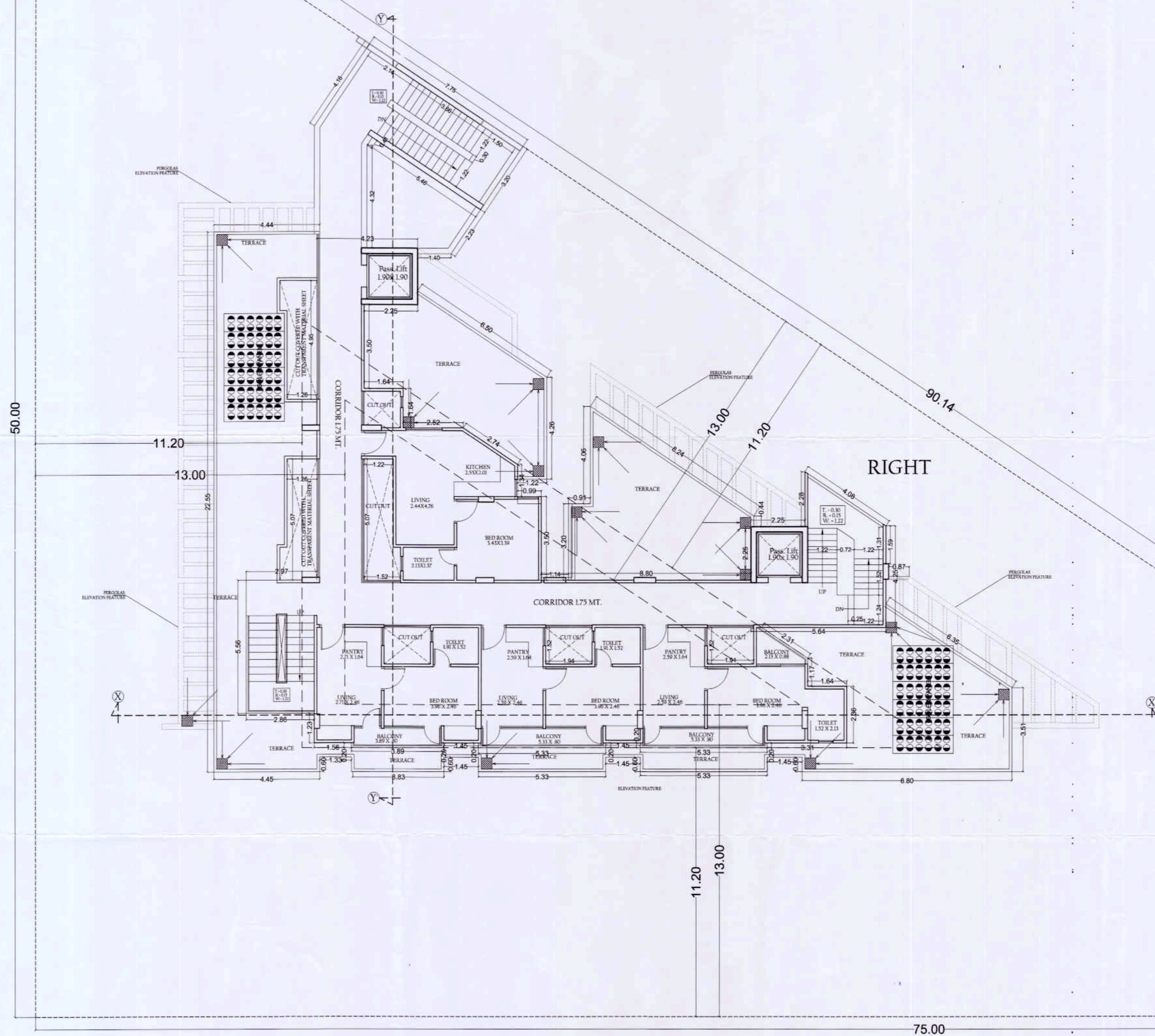
रंजितस्थान नगर पालिका अधिनियम २००९
खंड धारा १९४ के नियम ३ (ख) के अनुसार
नगर निगम/नगर पालिका द्वारा भवन
निर्माण योजनाओं की मंजूरी किसी भी प्रकार
से आवेदक को परामर्श के बिना युक्त न करने की
क्रिया से नहीं आयेगी।

सिद्धिचिन्ता प्रदीपिका

1. बिना वर्णन या स्वीय भवन ही जल की बहुरूपी विमर्ष न उभयोन कर अकेले
2. बस्तुतः त्रिकलकृत भवन, यामे यामे वर शायी शोभी होमा।
3. आर्षतजनक होमे वर यह बहुरूप कभी भी

(सिद्धिचिन्ता प्रदीपिका) / बहुरूपित की जा अकेले

13th FLOOR PLAN



13th FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

DATE : 20/ 09/ 2017

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING AT
PLOT NO CP-4,A INDRA VIHAR,
DIST.- KOTA



ARCHITECTS

Ar. BALJINDER SINGH
CA./2002/29354

OWNER

For URS GEHNA
up creek
Partner

 J.N.N.K.	<i>मानसिंह</i> उप नगर नियोजक <i>श्रीबाल्विंदर</i> वरिष्ठ नगर नियोजक <i>उपस्थित</i> नगर नियोजक	<i>उपस्थित</i> नगर नियोजक
TITLE:- <i>नगर नियोजन, कोटा</i>		
SUBMISSION DRAWINGS		
FRONT (WEST SIDE) ELEVATION		
SCALE:- 1= 100	DATE : 20/ 09/ 2017	
PROJECT:-	NORTH :	
PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO CP-4, A INDRA VIHAR, DIST.- KOTA		
ARCHITECTS <i>Balinder Singh</i> Mr. BALWINDER SINGH CA/2002/29354		
OWNER For URS GEHNA <i>Upendra</i> Partner		

TOTAL PLOT AREA CALCULATION

01. TOTAL PLOT AREA = 1875.00 SQ.MT.
 02. PERMISSIBLE F.A.R. = 1.33 (STANDARD) + 1.92 (PURCHASABLE) = 3.25
 = PLOT AREA X 3.25 = 1875 X 3.25 = 6093.75 SQ.MT.
 03. TOTAL CONSUMED F.A.R. = 5867.16 SQ.MT. = 3.12
 04. GROUND COVERAGE (ALLOTTED) = 40% = 1875.00 X 40% = 750.00 SQ.MT.
 AND, ACHIEVED GROUND COVERAGE = 630.80 = 33.64%
 05. PERMISSIBLE HEIGHT = 57.00 MT.
 (1.5 TIMES OF FRONT ROAD WIDTH + FRONT SET BACK)
 ACHIEVED HEIGHT = 44.47 MT.
 06. PARKING REQUIREMENTS =
 COMMERCIAL F.A.R./ 50 RESIDENTIAL F.A.R./ 75
 = 1038.10 / 50 = 20.76 E.C.U. = 4542.87/ 75 = 60.57 E.C.U.
 25% VISITORS PARKING EXTRA 25% VISITORS PARKING EXTRA
 = 20.76 X 25% = 5.19 E.C.U. = 60.57 X 25% = 15.14 E.C.U.
 TOTAL PARKING REQUIRED = 20.76+5.19+60.57+15.14 = 101.66 = 102 E.C.U.
 = 75 % CARS = 76.50 = SAY 77.00 E.C.U.
 = 25 % SCOOTERS = 75 = 25.00 E.C.U.

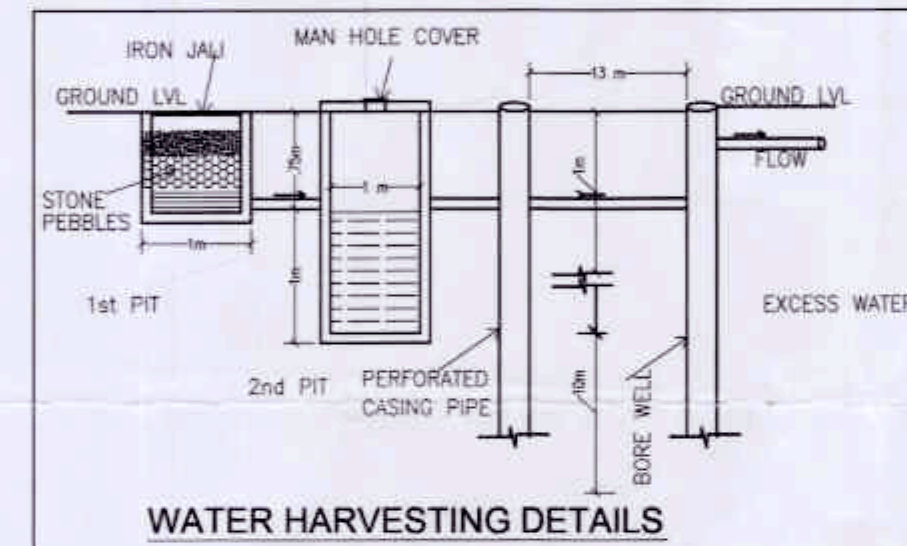


MISSION GRANTED
 CT TO TITLE

आवश्यक नगर पालिका योजनाओं के अन्तर्गत
 की गई 194 के नियम 3 (ख) के अनुसार
 नगर निगम/नगर पालिका द्वारा भवन
 निर्माण योजनाओं की मंजूरी/विशेष प्राप्ति
 से आबंटित की गई है जो कि आवश्यक होने पर
 कोटि में भी लागू रहेगा।

PROVIDED PARKING DETAILS

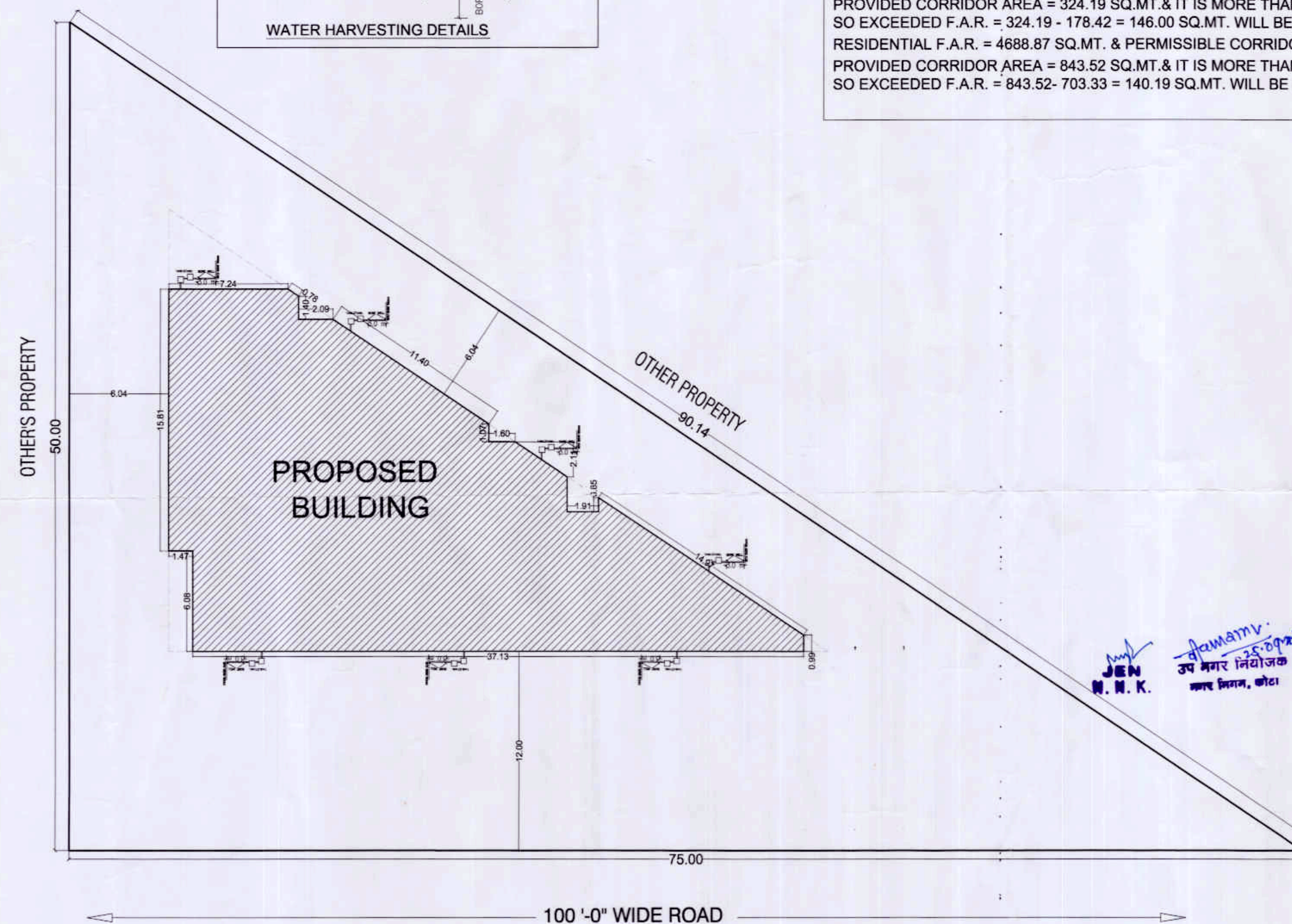
S.No.	FLOOR	PROVIDED SURFACE CARS	PROVIDED STACK CARS	PROVIDED SCOOTERS E.C.U.	TOTAL E.C.U.
1	OPEN GROUND	20.00	00.00	60.00(20.00)	40.00
2	LOWER GROUND	7.00	00.00	9.00(3.00)	10.00
3	BASEMENT	30.00	26.00	15.00(5.00)	61.00
	TOTAL	57.00	26.00	84.00(28.00)	111.00



AREA STATEMENT					
S. NO.	FLOOR NAME	B.U.A. SQ.MT.	F.A.R.	CORRIDORS	GROSS BUA
1.	BASEMENT FLOOR	1376.45	00.00	00.00	1376.45
2.	LOWER GR. FLOOR	1239.43	195.91	00.00	1239.43
3.	GROUND FLOOR	503.19	335.09	113.70	503.19
4.	FIRST FLOOR	630.80	361.10	210.49	663.57
5.	SECOND FLOOR	523.11	432.06	67.39	565.77
6.	THIRD FLOOR	523.11	432.06	67.39	565.77
7.	FOURTH FLOOR	523.11	432.06	67.39	565.77
8.	FIFTH FLOOR	523.11	432.06	67.39	565.77
9.	SIXTH FLOOR	523.11	432.06	67.39	565.77
10.	SEVENTH FLOOR	523.11	432.06	67.39	565.77
11.	EIGHTH FLOOR	523.11	432.06	67.39	565.77
12.	NINTH FLOOR	523.11	432.06	67.39	565.77
13.	TENTH FLOOR	456.84	324.47	61.56	480.31
14.	ELEVENTH FLOOR	456.84	324.47	61.56	480.31
15.	TWELFTH FLOOR	456.84	324.47	61.56	480.31
16.	THIRTEENTH FLOOR	213.01	129.49	59.86	242.56
17.	FOURTEENTH FLOOR	213.01	129.49	59.86	242.56
18.	TERRACE FLOOR	50.00	00.00	00.00	50.00
	TOTAL	9781.29	5580.97	1167.71	10284.85
EXCEEDED CORRIDOR AREA (COMMERCIAL)		146.00			
EXCEEDED CORRIDOR AREA (RESIDENTIAL)		140.19			
TOTAL CONSUMED F.A.R.		5867.16			

CORRIDORS CALCULATIONS

COMMERCIAL F.A.R. = 892.10 SQ.MT. & PERMISSIBLE CORRIDOR AREA (20%) = 178.42 SQ.MT.
 PROVIDED CORRIDOR AREA = 324.19 SQ.MT. & IT IS MORE THAN 20%,
 SO EXCEEDED F.A.R. = 324.19 - 178.42 = 146.00 SQ.MT. WILL BE COUNTED IN F.A.R.
 RESIDENTIAL F.A.R. = 4688.87 SQ.MT. & PERMISSIBLE CORRIDOR AREA (15%) = 703.33 SQ.MT.
 PROVIDED CORRIDOR AREA = 843.52 SQ.MT. & IT IS MORE THAN 15%,
 SO EXCEEDED F.A.R. = 843.52 - 703.33 = 140.19 SQ.MT. WILL BE COUNTED IN F.A.R.



Ar. N. K. K. (Signature)
 उपायुक्त नगर निगम, कोटा
 वरिष्ठ नगर निगम, कोटा
 नगर निगम, कोटा
 उपायुक्त नगर निगम, कोटा

TITLE :- SHEET NO. -01

SITE PLAN

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

SITE PLAN

SCALE:- 1= 200

DATE : 20/ 09/ 2017

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING AT
 PLOT NO CP-4,A INDRA VIHAR,
 DIST.- KOTA

NORTH :



ARCHITECTS

Ar. BALJINDER SINGH
 CA/2002/29354

OWNER For U/S GEHNA

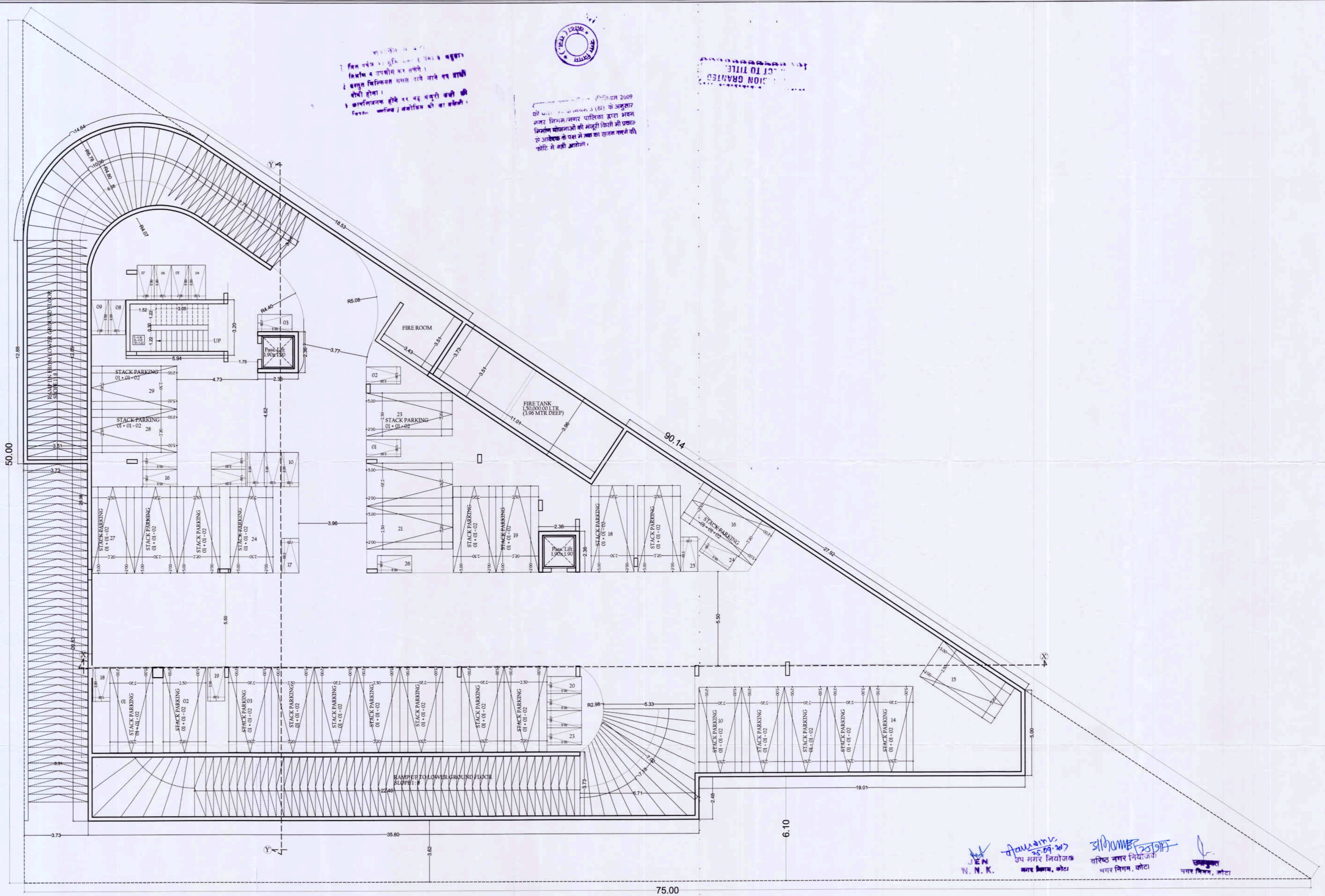
upendrakumar
 Partner

BASEMENT FLOOR PLAN

DATE : 01 / 08 / 2016

NORTH :

For URS CHINA
OWNER
upendsekh
Partner

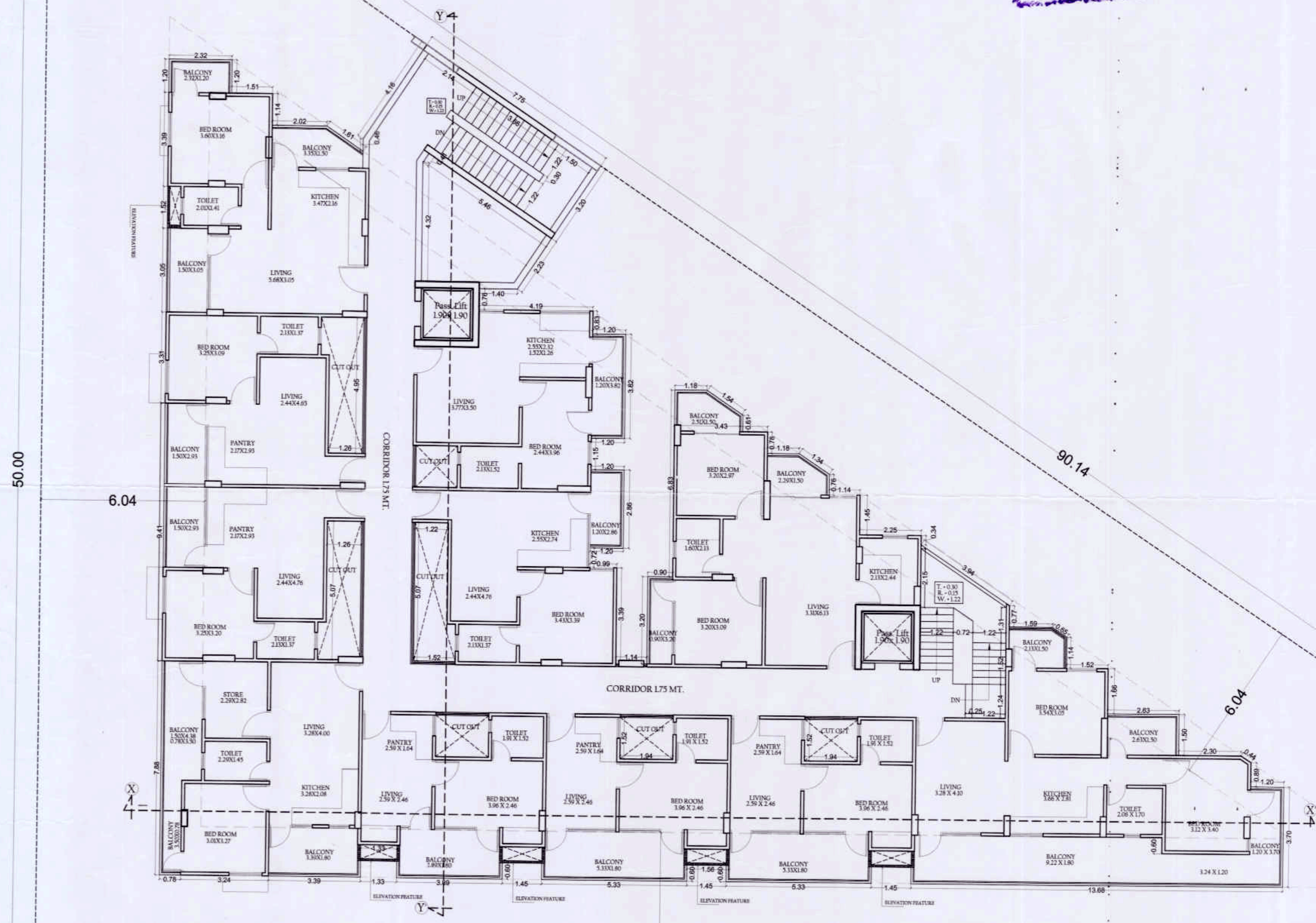




राजस्थान नगर पंचायत अधिनियम 2009
से धारा 194 के तहत 3 (ख) के अनुसार
नगर विमान/नगर पंचायत द्वारा श्रम
विभाग योजनाओं की मजूरी किसी भी प्रकार
से आवेदक के पास से एक का मुहर लगाया
जाएगा।

REVISION C
RECT TO TIL

1. श्रम विभाग का मुहर लगाने की जगह
निर्माण के उपरान्त करवावे।
2. अस्तुति विधिकरण के बाद वापस करवावे।
3. श्रम विभाग को वापस करवावे।



50.00

6.04

90.14

6.04

12.02

75.00

TITLE:- SHEET NO. -06 2.25
TYPICAL (2nd TO 9th) FLOOR PLAN

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS
TYPICAL (2nd TO 9th) FLOOR PLAN
SCALE:- 1= 100 DATE: 01/08/2016
PROJECT:- NORTH :
PROPOSED GROUP HOUSING AT
PLOT NO CP-4A, INDRA VIHAR,
DIST.- KOTA

ARCHITECTS
BALINDER SINGH
AR. BALINDER SINGH
CA/2002/29354

FOR UPONER
Upender
Partner

N. M. K.

12.08.2017
उप नगर निरीक्षक
नगर विभाग, कोटा

31/08/2017
वरिष्ठ नगर निरीक्षक
नगर विभाग, कोटा

उप नगर निरीक्षक
नगर विभाग, कोटा



MISSION GRANTED
PROJECT TO TITLE

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
के द्वारा 194 के नियम 3 (ख) के अनुसार
नगर निगम/नगर पालिका द्वारा भवन
विशेष योजनाओं की मंजूरी किसी भी प्रकार
से आवेदक के पक्ष में एक का दस्तावेज को
गारंटी में नहीं आयेगा।

नोट: नगर निगम
जिस वर्ग का भूमि भवन है उसी के अनुसार
निर्माण व उपयोग कर लेंगे।
बस्तुतः भित्तिगत भवन को यदि वह किसी
दोषी होगा।
आवश्यक होने पर वह करने को है
नगर निगम/संवेदन को है करने।



TITLE :- SHEET NO. -07

TENTH FLOOR PLAN

SUBMISSION DRAWINGS

TENTH FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

DATE : 20/ 09/ 2017

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING AT
PLOT NO CP-4,A INDRA VIHAR,
DIST.- KOTA

NORTH :



ARCHITECTS

Balinder Singh
Ar. BALJINDER SINGH
CA/2002/29354

OWNER
FOR URS GEHNA
Partner

JEN
N. N. K.

अध्यापक
उप नगर निगम
नगर निगम, कोटा

अध्यापक
उप नगर निगम
नगर निगम, कोटा

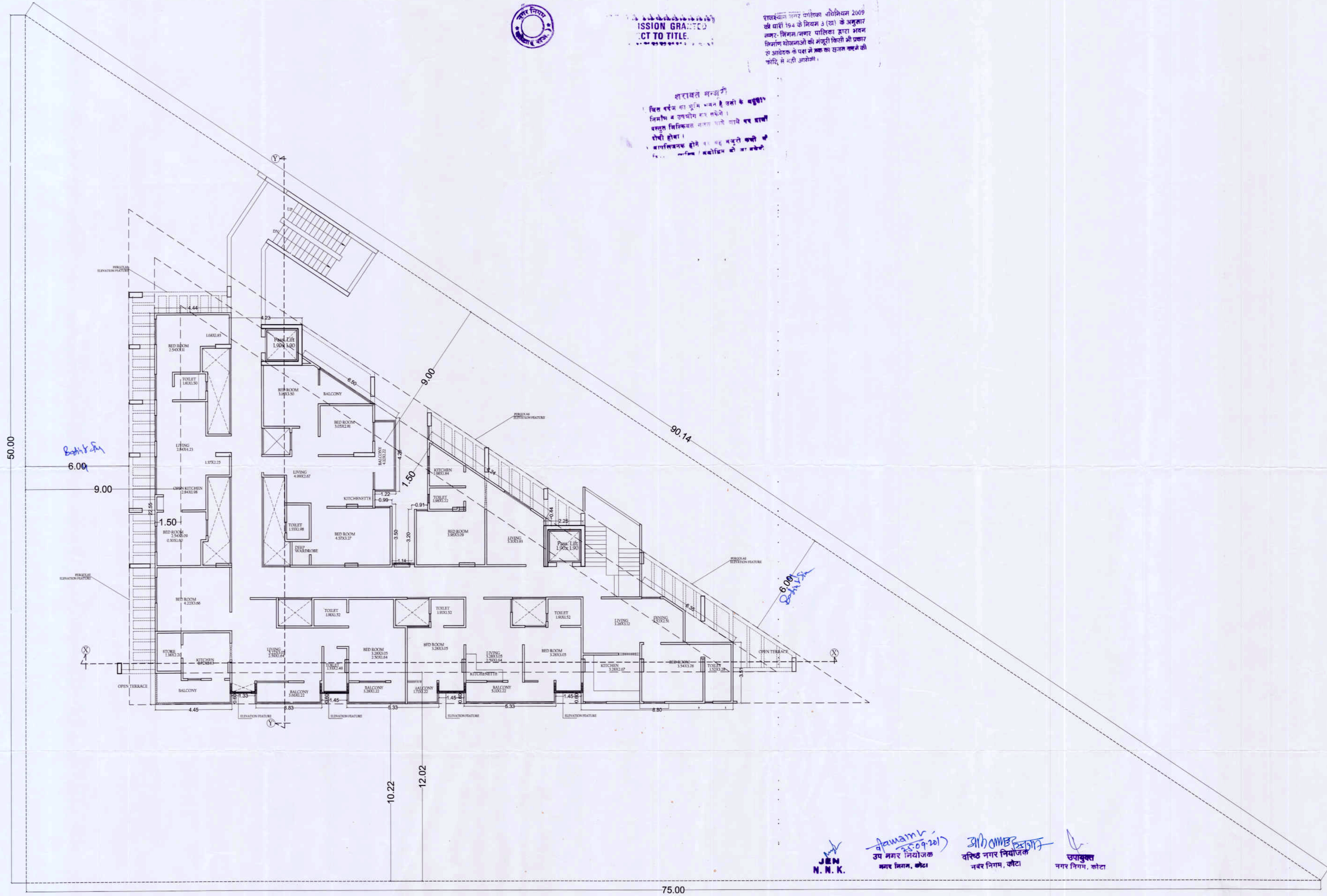
अध्यापक
उप नगर निगम
नगर निगम, कोटा



ISSION GRANTED
CT TO TITLE

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
खंड 194 के नियम 3 (2) के अनुसार
नगर निगम/नगर पालिका द्वारा भवन
निर्माण योजनाओं की मजूरी किसी भी प्रकार
से आवेदक के पक्ष में एक का सजात करने की
शक्ति में नहीं आयेगी।

शराबते मजदूरी
विल दर्वज का शुमि भवन है उसी के मजदूरी
निर्माण के उपयोग कर लेंगे।
वस्तुतः निम्नलिखित सजात वाले बांधे घर बांधी
शेरी होना।
बागमजदूर होने व मजदूरी कमी के
लिए नगर निगम की जा मजदूरी



TITLE :- SHEET NO. -08

11th & 12th FLOOR PLAN

SUBMISSION DRAWINGS

11th & 12th FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

DATE : 20/09/2017

PROJECT:-

NORTH :

PROPOSED GROUP HOUSING AT
PLOT NO CP-4A, INDRA VIHAR,
DIST.- KOTA



ARCHITECTS

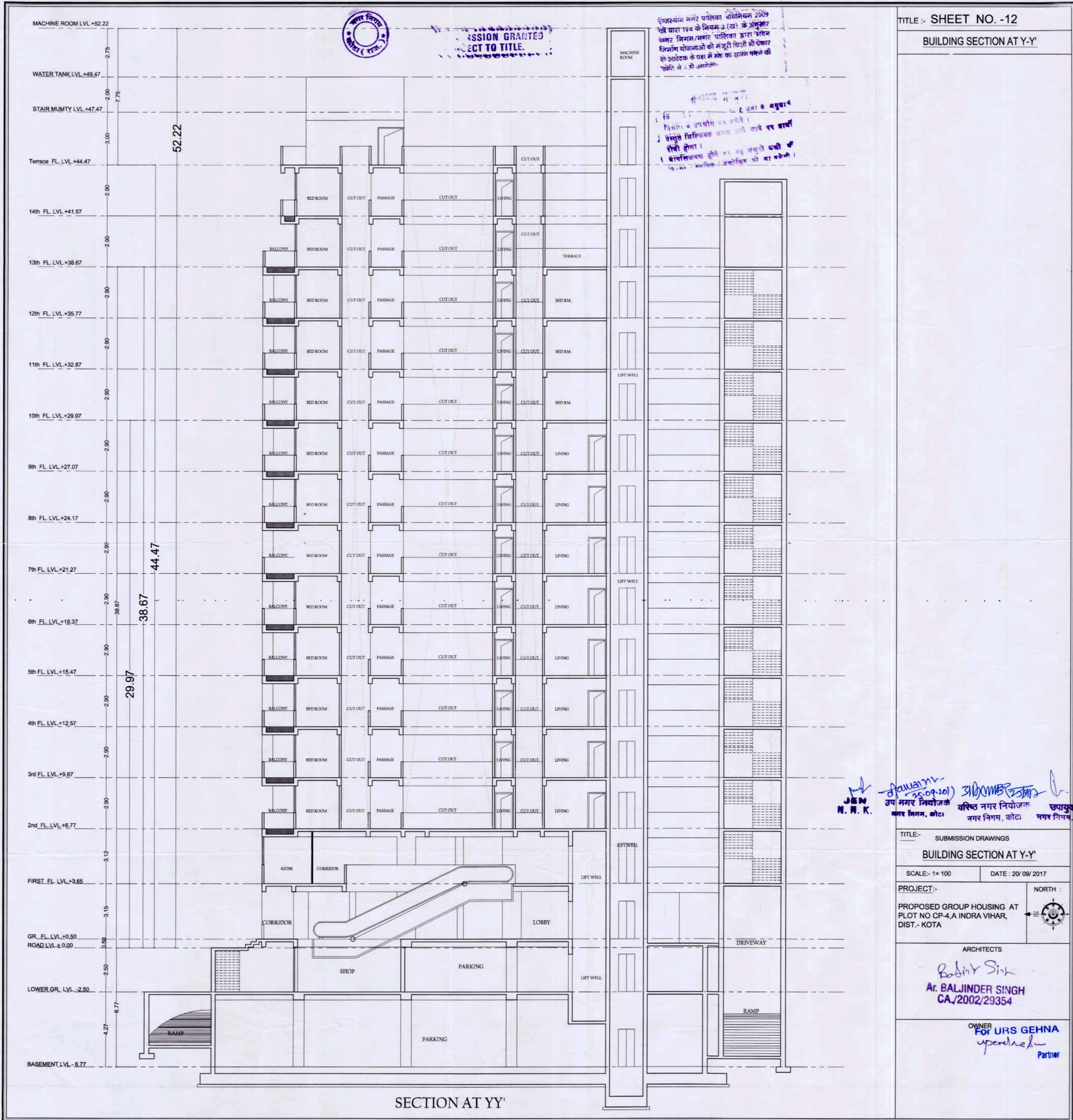
Ar. BALJINDER SINGH

CA/2002/29354

OWNER

for URS GEHNA

Partner



MACHINE ROOM LVL +52.22

WATER TANK LVL +49.47

STAIR MUMTY LVL +47.47

Terrace FL LVL +44.47

14th FL LVL +41.57

13th FL LVL +38.67

12th FL LVL +35.77

11th FL LVL +32.87

10th FL LVL +29.97

9th FL LVL +27.07

8th FL LVL +24.17

7th FL LVL +21.27

6th FL LVL +18.37

5th FL LVL +15.47

4th FL LVL +12.57

3rd FL LVL +9.67

2nd FL LVL +6.77

FIRST FL LVL +3.65

GR. FL LVL +0.50

ROAD LVL ± 0.00

LOWER GR. LVL -2.50

BASEMENT LVL -6.77

52.22

44.47

38.67

29.97

6.77

RAMP



SECTION AT XX'

TITLE:- SHEET NO. -13

BUILDING SECTION AT X-X'

JEN N. N. K.
उप नगर नियोजक
नगर निगम, कोटा

Ar. Baljinder Singh
CA/2002/29354
उपनियोजक
नगर निगम, कोटा

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

BUILDING SECTION AT X-X'

SCALE:- 1= 100 DATE : 20/ 09/ 2017

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING AT
PLOT NO CP-4/A INDRA VIHAR,
DIST.- KOTA



ARCHITECTS

Ar. Baljinder Singh
CA/2002/29354

OWNER
For URS GEHNA
Upadhyay



MISSION GRADE
PROJECT TO TITLE

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
की धारा 194 के नियम 3 (ख) के अनुसार
नगर विमान/नगर पालिका द्वारा भवन
निर्माण योजनाओं की संशुद्धि की प्रकृति
से आवेदक के पक्ष में एक का राजस्व कटौती की
ओरि से जारी आदेश।

TITLE :- SHEET NO. -15

LEFT (NORTH SIDE) ELEVATION



LEFT SIDE ELEVATION

JEN
N. N. K.

उप नगर निगम
नगर निगम, कोटा

उप नगर निगम
नगर निगम, कोटा

उप नगर निगम
नगर निगम, कोटा

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

LEFT (NORTH SIDE) ELEVATION

SCALE:- 1= 100

DATE : 20/ 09/ 2017

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING AT
PLOT NO CP-4,A INDRA VIHAR,
DIST.- KOTA

NORTH :



ARCHITECTS

Ar. BALJINDER SINGH
CA/2002/29354

OWNER



संलग्नक नं. 14/2016 दिनांक 20/08/2016
कोटा नगर निगम, कोटा के अधीन
नगर निगम/नगर पालिका द्वारा भवन
निर्माण योजनाओं की मंजूरी के लिए भी प्रस्ताव
ये आवेदन के पक्ष में भवन का उद्देश्य नगर की
सुविधि में नहीं आता है।

11.01.2016
89 NOISSIK

1. भवन का निर्माण नगर निगम के अधीन
2. भवन का निर्माण नगर निगम के अधीन
3. भवन का निर्माण नगर निगम के अधीन
4. भवन का निर्माण नगर निगम के अधीन
5. भवन का निर्माण नगर निगम के अधीन
6. भवन का निर्माण नगर निगम के अधीन
7. भवन का निर्माण नगर निगम के अधीन
8. भवन का निर्माण नगर निगम के अधीन
9. भवन का निर्माण नगर निगम के अधीन
10. भवन का निर्माण नगर निगम के अधीन

RIGHT

TITLE:- SHEET NO. -10

14th FLOOR PLAN

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

14th FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

DATE: 01/08/2016

PROJECT:-

NORTH :

PROPOSED GROUP HOUSING AT
PLOT NO CP-4, A, INDRA VIHAR,
DIST.- KOTA



ARCHITECTS

BALJINDER SINGH
AT: BALJINDER SINGH
CA/2002/29354

POORNIMA GEHNA
Partner

JEN
N. N. K.

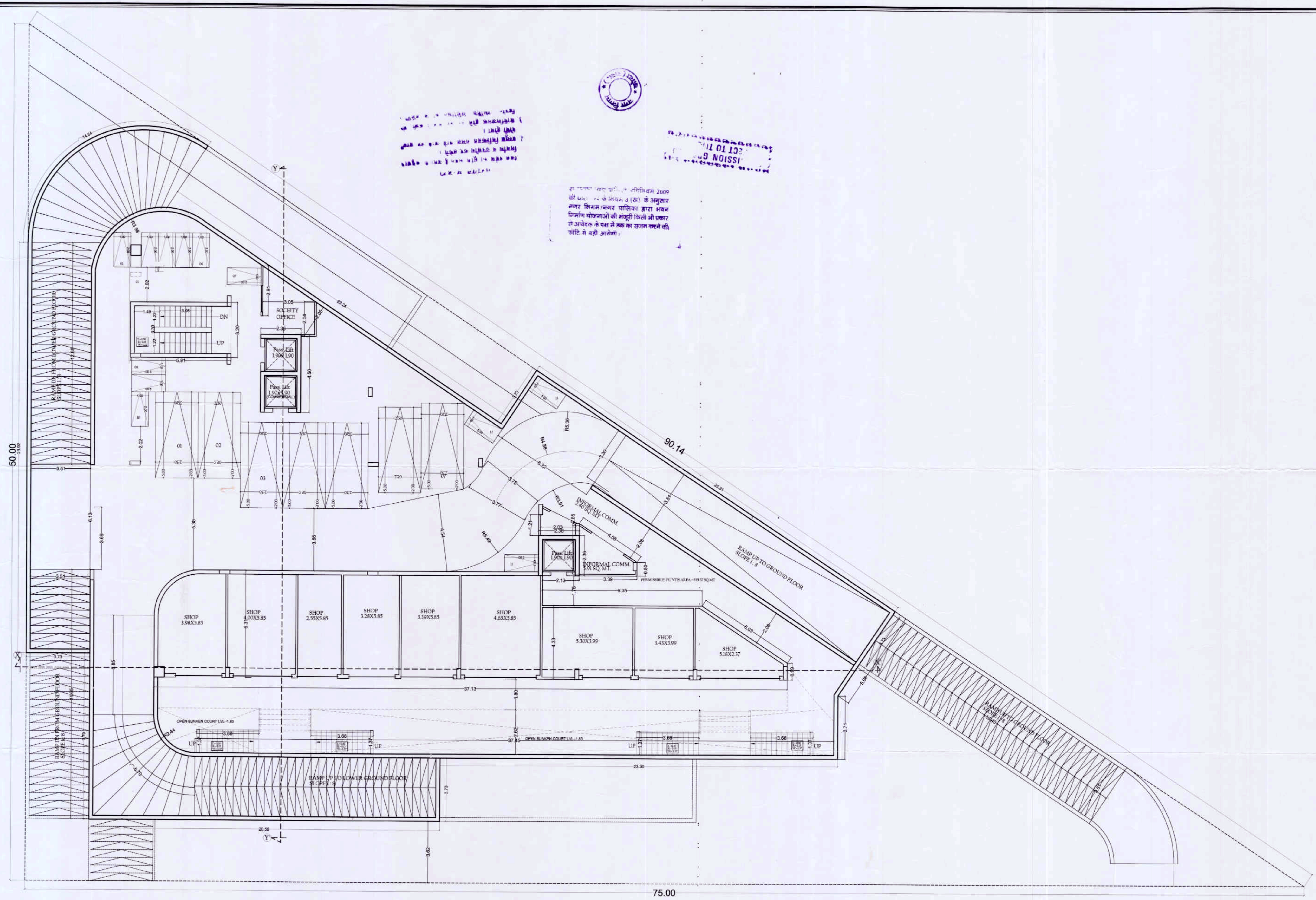
विकास
नगर निगम, कोटा

विकास
नगर निगम, कोटा

विकास
नगर निगम, कोटा

75.00

LOWER GROUND FLOOR PLAN



TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

LOWER GROUND FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100 DATE : 01 / 08 / 2016

PROJECT:- NORTH :

PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO CP-4, A INDRA VIHAR, DIST.- KOTA

ARCHITECTS
BALINDER SINGH
AT. BALINDER SINGH
CA/2002/29354

FOR URS GEMINA
OWNER
upendse
Partner

JEN
N. N. K.
अप मगर निवाजक
मगर निवाज, कोटा
श्रीधर सिंह
मगर निवाजक
मगर निवाज, कोटा
उपमयुक्त
मगर निवाज, कोटा

For OWNER **GEHNA**
upendra
Partner

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

100'-0" WIDE ROAD

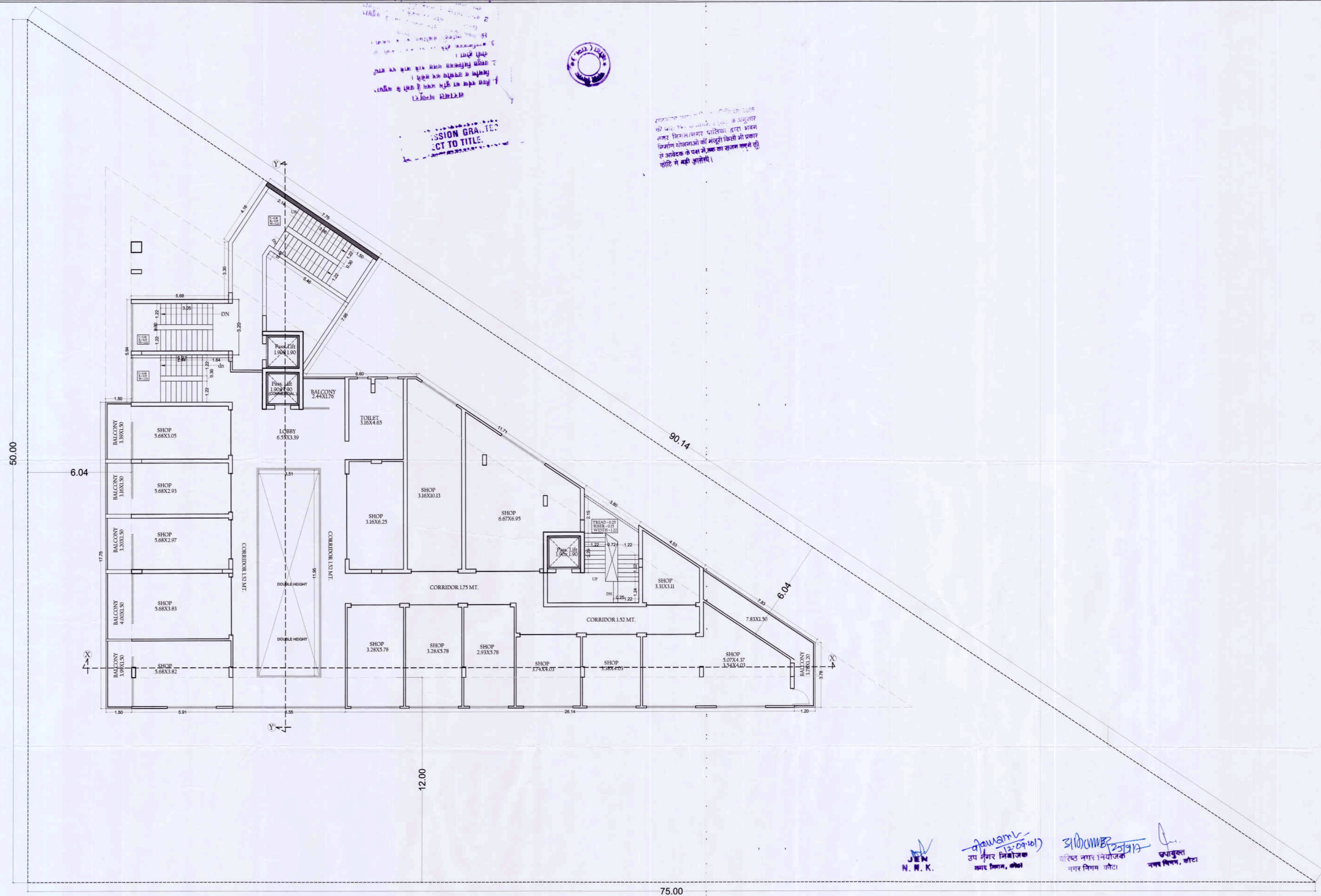
FIRST FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

ORTH :

BALJINDER SINGH
Ar. BALJINDER SINGH
CA/2002/29354

OWNER
upend k
Partner

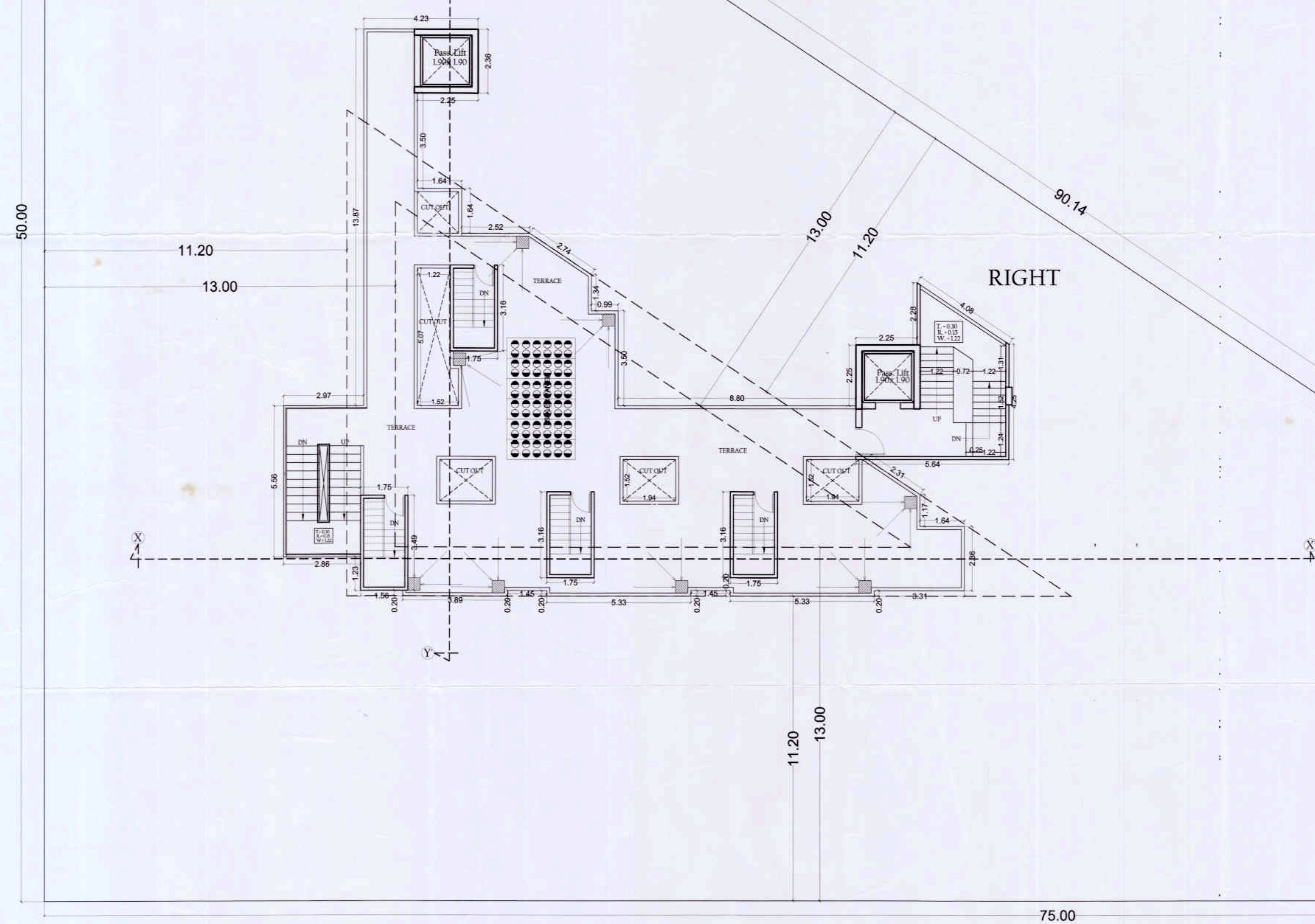




SECTION GRA
ST TO TITLE.

वर्ष 2009-10 का कार्यक्रम (2) को अनुसार
कनार विभाग/जनार पालिका द्वारा भवन
निर्माण योजनाओं की मंजूरी किसी भी प्रकार
से आवेदक के पक्ष में हक का सजाज तथ्य की
कोटि में नहीं आयेगी।

की प्रतिक्रिया पर 2009
तः अनुसार
नगर निगम/नगर पालिका द्वारा भवन
निर्माण योजनाओं की मंजूरी किसी भी प्रकार
से आवेदक को पक्ष में श्रक का सृजन करने की
क्रांति से नहीं आयेगी।



TITLE:-	SUBMISSION DRAWINGS
---------	---------------------

TERRACE FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

DATE : 01 / 08 / 2016

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING /
PLOT NO CP-4,A INDRA VIHAR,
DIST.- KOTA

NORTH :

ARCHITECTS

BALJINDER SINGH
Ar. BALJINDER SINGH
CA./2002/29354

For URS GEHN
OWNER
upenn/Le
Part


 J. N. N. N.

वीरमाम -
25/09/201
उप नगर निवाजक
नगर निगम, कोटा

डा. विष्णु चव्हाण
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, लोटा

उपायुक्त
नगर निगम, कोट